न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री दाताराम, आर.ए.एस

अपील संख्या : आरटीए/223/2018/004 (कंप्युटर सं.2018/00036)

श्रीमती घेवरी उर्फ गवरी पत्नी स्व. पुरखाराम
(नाता जवन्ताराम) जाति जाट
निवासी ग्राम सिगड, जिला नागौर

--- अपीलाण्ट

ब ना म

1. श्रीमती सुगनी पत्नी लक्ष्मणराम पुत्री किस्तुरराम जाट
   निवासी कजनाउकलां, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
2. तहसीलदार बावडी
   जिला जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं शिविर प्रभारी बावडी राजस्थान लोक अदालत न्याय आपके द्वार, 2017 कैम्प कोर्ट कजनाउ कला राजस्व वाद संख्या 151/2007 सुगनीदेवी बनाम तहसीलदार बावडी

---- 0 ----

उपस्थित-

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा
रेस्पो. संख्या एक बावजूद सूचना अनुपस्थित
रेस्पो. दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

दिनांक : 08 अगस्त 2018

सहायक कलेक्टर एवं शिविर प्रभारी बावडी राजस्थान लोक अदालत न्याय आपके द्वार, 2017 कैम्प कोर्ट कजनाउ कला द्वारा राजस्व वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

संख्या 151/2007 श्रीमती सुगनीदेवी बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2017 के खिलाफ अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. ने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 230, 231 व 235/1 रकबा कमशः 14 बीघा 18 बिस्वा, 13 बीघा एवं 3 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा वाके मौजा चटालिया तहसील बावडी के संबंध में एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु इस आधार पर पेश किया कि उक्त आराजियात का पूर्व खातेदार गुमानराम का दिनांक 26 मई 1996 को लाऔलाद फौत हो गया, वादिनी गुमानराम की सबसे नजदीकी रिश्तेदार है और अंतिमावस्था में वादिनी ने ही गुमानराम की सेवासुश्रुषा की थी और देहावसान के बाद वादिनी द्वारा ही सामाजिक रीति-रिवाजानुसार अंत्येष्ठि एवं उसके अंतिम कियाकर्म की व्यवस्था की थी। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानुसार लाऔलाद फौत हुए खातेदार गुमानराम की समस्त खातेदारी भूमि की एकमात्र वारिस वादिनी हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2017 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अपीलार्थिनी ने आलौच्य अपील पेश की है।

अपील मीमो के साथ अपीलाण्ट की ओर से सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी हितबद्ध पक्षकार होना, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान नहीं बनाये जाने उनके हित प्रतिकूलरुपेण प्रभावित होने के कारण उन्हें अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साथ ही अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश कर अपील पेश करने में हुए सदभाविक विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया, क्योंकि न्यायालय में अपीलाण्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया, अतः अपीलाधीन आदेश एवं डिकी की समुचित समय में उन्हें जानकारी नहीं हो पायी।

उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों बाबत सुनवाई एवं आदेश सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज की जाकर रेस्पो. को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पो. संख्या एक की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं, रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। तामील तलबी की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त बहस समायत की गयी।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पति पुरखाराम की खातेदारी की भूमि रही है, अपीलाण्ट एवं उसके पति पुरखाराम के वैवाहिक जीवन में एक मात्र संतान गुमानराम हुआ, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. द्वारा स्वयं को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत गुमनाराम की सबसे नजदीकी रिश्तेदार बताया जाना सही नहीं है, क्योकि गुमानराम की प्राकृतिक माता अपीलार्थिनी जीवित है, जिसे वादिनी-रेस्पो. ने फर्जी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना ही मृतक बता कर दावा डिकी करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में वर्णित वर्ग एक व दो का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है, उक्त वर्णित धारा 8 के वर्ग एक व दो में वादिनी-रेस्पो., जो कि गुमानराम के ताउ की पुत्री है, का कोई स्थान ही नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति पर कोई गौर नहीं किया। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान वकील अपीलाण्ट ने न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

का ध्यान एआईआर 1973 पंजाब एण्ड हरियाणा 362 की ओर आकर्षित किया। अंत में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत नजीर का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात गुमानराम की खातेदारी की होना दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत तथ्य है एवं अपीलार्थिनी गुमानराम की माता होना मूल वाद में प्रस्तुत सजरा-खानदान से प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायहित में धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट को सुना जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही एवं पारित डिक्री बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं हो पाना स्वभाविक है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जाती है।

किन्तु जहॉ तक वादग्रस्त आराजियात में गुमानराम की माता होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होकर वादग्रस्त आराजी की हकदार अपीलाण्ट होने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर एआईआर 1973 पंजाब एवं हरियाणा 362 का अदालत हाजा पूर्ण सम्मान करती है, मगर तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त नजीर इस मामले में लागू नहीं होती

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील संख्या : आरटीए/223/2018/004 (कंप्युटर सं.2018/00036)
श्रीमती घेवरी उर्फ गवरी बनाम श्रीमती सुगनी इत्यादि

है, क्योंकि स्वयं अपीलाण्ट के अनुसार अपने पति के देहान्त के बाद अपीलाण्ट नाते चली गयी थी, अर्थात उसने दूसरा पति कर लिया था। ऐसी स्थिति में उसे अपने पहले पति अथवा अपने पहले पति की संतान की सम्पत्ति में कोई हक अथवा अधिकार निहित नहीं रहता है।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, तो तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2017 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहने करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08 अगस्त 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00036)

अपील संख्या 004/2018

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.श्रीमति घेवरी उर्फ गवरी पत्नी स्व पुरखाराम (नाता जवन्ताराम)जाति जाट निवासी ग्राम सिगड,जिला नागौर।	बनाम	1.श्रीमति सुगनी पत्नी लक्ष्मणराम पुत्री किस्तुराम जाट निवासी कजनाउकलां,तहसील बावडी जिला जोधपुर। 2.तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर,शिविर प्रभारी बावड़ी राजस्थान लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट कजनाड कला दिनांक 21.06.2017 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 151/2007

यह अपील बतारीख 8/8/2018 बहाजरी अपीलांट अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा एवं रेस्पोडेंट की 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21/6/2017 यथावत रखे जाते है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 8/8/2018 को जारी हो किया गया।

8/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनताना मीजान	

8/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर